## लेखराज बनाम मनीष कुमार वगै0

**अपील संख्या : 2023/120**

| | |
|---|---|
| 12.07.2023 | विद्वान अधिवक्ता अपीलांट श्री रघुवीर सिंह राठौड़ की ओर से यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा के प्रकरण संख्या 97/2022 मे पारित आदेश दिनांक 28.06.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है। विद्वान अधिवक्ता श्री जगदीश नन्दवाना की ओर से केवियट प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है।<br><br>अधिवक्ता अपीलांट व केवियटकर्ता की बहस स्थगन प्रार्थना–पत्र पर अंतरिम स्थगन हेतु सुनी गई।<br><br>अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस मे स्थगन प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी ने उपरोक्त उनवान की अपील न्यायालय हाजा मे पेश कर दी है जिसमे सफलता मिलने की आशा है। प्रार्थी का केस प्राईमाफेसी है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष मे निहित है। न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी. 2014(1) पेज 409 जगदीश प्रसाद बनाम भोपाल राम को उदृधृत करते हुए कथन किया कि अन्तरिम आदेश की अपील पोषणीय है। प्रश्नगत आदेश मे तो कुछ पक्षकारों को सुना भी गया है, अतः यह तो पूरे आदेश की श्रेणी मे आता है। विवादित भूमि अपीलांट की पैतृक भूमि है, जिसके संबंध मे हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम लागू होता है। अपीलाट का विवादित भूमि मे जन्म से ही हक निहित है। अधीनस्थ न्यायालय मे वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 मनीष द्वारा प्रस्तुत वाद मे एकपक्षीय स्थगन आदेश जारी किया गया था जिसको अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 28.06.2023 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1/4 से 4/6 के द्वारा प्रस्तुत जवाब व काउन्टर क्लेम के तथ्यों को मानकर तथा विवादित आराजी को उनके पिता रामरतन द्वारा वादी के पिता एंव अन्य खातेदारान से दिनांक 16.08.1982 को क्रय कर कब्जा प्राप्त करना तथा तब से लगातार विवादित आराजी पर उनका कब्जा होना मानकर वादी के पक्ष मे जारी की गई अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज कर रेस्पोडेन्ट संख्या 4/1 से 4/6 के पक्ष मे अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने मे त्रुटि की है। उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा के द्वारा वादी एवं अन्य प्रतिवादी जिनमे अपीलांट भी शामिल है, के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने मे त्रुटि की है। विवादित आराजी पैतृक सम्पत्ति है जिसमे अपीलांट का जन्म से हक व अधिकार निहित है, जिसको नजरअंदाज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने मे त्रुटि की है। अपीलांट द्वारा भी अधीनस्थ न्यायालय मे दिनांक 06.06.2023 को हक घोषणा, बंटवारा व अस्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया |

गया है, जिसको पश्चातवर्ती वाद होने से उक्त पत्रावली में शामिल किया गया जो शामिल पत्रावली है, जिसका कोई जवाब प्रतिवादी द्वारा नहीं दिया गया। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के हितो के विपरीत अपीलांट के विरूद्ध भी अस्थाई निषेधाज्ञा पारित करने का आदेश दिया गया है जो कि हर प्रकार से काबिल निरस्तनीय है। यदि उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश प्रभावशील रहा तो रेस्पोडेन्ट संख्या 4/1 से 4/6 विवादित आराजी को खुर्द कर देंगे जिससे अपीलांट को भारी क्षति होगी। अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत वाद मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी तथा हम प्रतिवादी संख्या 2 के रूप मे पक्षकार है। साथ ही एक अन्य वाद अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय मे पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का वाद, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत वाद के साथ संलग्न कर दिया जो कि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 05.06.2023 में अंकित है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत उक्त वाद मे रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 28.06.2023 से समाप्त किया जाकर केवल अपीलांट के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 28.06.2023 त्रुटिपूर्ण होने से खारिज किये जाने योग्य है। अपनी बहस के समर्थन मे अधिवक्ता अपीलांट की ओर से न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी. 1989 पेज 284 फूमा बनाम राजस्थान सरकार प्रस्तुत किया।0 अन्त मे अपीलांट प्रार्थी के पक्ष मे रेस्पोडेन्ट संख्या 2 एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 4/1 से 4/6 के विरूद्ध इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया कि वह वादपत्र मे वर्णित विवादित आराजी को किसी प्रकार से खुर्द–बुर्द नहीं करे तथा राजस्व रिकॉर्ड की मौजूदा स्थिति कायम रखें।

विद्वान अधिवक्ता केवियटकर्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 4/1 ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत मूलवाद मे हम प्रतिवादी संख्या 4 के रूप मे पक्षकार है। न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी. 2014(1) पेज 409 जगदीश प्रसाद बनाम भोपाल राम मे प्रश्नगत नियमों की पालना करते हुए जारी आगामी आदेश तक स्थगन जैसे आदेशों को अपील योग्य नहीं माना है। अतः प्रश्नगत आदेश की अपील प्रथम दृष्ट्या ही खारिज किये जाने योग्य है। हमने मूलवाद मे काउंटर क्लेम पेश किया है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 का अंतरिम आदेश खारिज कर मेरा अन्तरिम स्थगन आदेश स्वीकार किया है। अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 28.06.2023 को पारित किया गया है। अपीलांट के पिता ने दिनांक 16.08.1982 को प्रतिवादी संख्या 4 को विक्रय की । उक्त विक्रय–पत्र के आधार पर नामान्तरकरण सन् 1983 को रेस्पोडेन्ट संख्या 4 रामचरण के पक्ष मे खुला। सन् 2022 मे केता रामचरण की मृत्यु हो गई। रामचरण की मृत्यु के बाद रेस्पोडेन्ट संख्या 4/1 से 4/6 विवादित भूमि पर काबिज होकर काश्त कर

रहे है। तब से आज तक हमारा कब्जा–काश्त है। अपीलांट का विवादित भूमि पर कोई कब्जा–काश्त नहीं है। पंजीकृत विकय–पत्र को निरस्त करने के संबंध मे सुनवाई का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होकर सक्षम सिविल न्यायालय को प्राप्त है। अपीलांट को वाद प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। अपीलांट का विवादित भूमि पर कोई कब्जा काश्त नहीं है। अभिलिखित खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित नहीं है। अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 28.06.2023 को जारी किया जाकर पत्रावली मे आगामी तारीख पेशी दिनांक 05.07.2023 नियत की गई। दिनांक 05.07.2023 को अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित नहीं हुए। अपीलांट की ओर से अन्तरिम आदेश के विरूद्ध अपील पेश की गई है जो पोषणीय नहीं है।

हमने उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया। अधिवक्ता अपीलांट का अपने प्रार्थना–पत्र मे कथन रहा है कि उसके पक्ष मे दिनांक 22.07.2022 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 28.06.2023 से समाप्त किया जाकर अपीलांट के विरूद्ध अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई, जो त्रुटिपूर्ण हे। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट का कथन रहा है कि विवादित भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 4/1 से 4/6 के पिता रामरतन द्वारा दिनांक 16.08.1982 को जरिये पंजीकृत विकय–पत्र कय की गई है तथा वर्तमान मे विवादित भूमि रामरतन की खातेदारी मे दर्ज रिकॉर्ड है तथा विवादित भूमि पर रेस्पोडेन्ट काबिज–काश्त है। अपीलांट ने विवादित भूमि को पैतृक होना बताकर विवादित भूमि मे हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार जन्म से स्वयं का हिस्सा निहित होने का कथन किया है। परन्तु हमारे मत मे प्रार्थना–पत्र को गुणावगुण पर सम्पूर्ण पक्षों को देखने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 28.06.2023 का अवलोकन करना उचित होगा। दिनांक 28.06.2023 के आदेश मे स्पष्ट अंकन है कि अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। प्रकरण मे आगामी तारीख पेशी दिनांक 05.07.2023 नियत की गई थी। प्रश्नगत आदेश अंतरिम आदेश की प्रकृति का है। अपीलांट ने न्यायालय हाजा मे अपील दिनांक 07.07.2023 को प्रस्तुत की है। जब अपीलांट को उक्त अंतरिम आदेश की जानकारी हुई तो प्रथमतः उनके पास अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का संपूर्ण अवसर विद्यमान था। अधीनस्थ न्याायालय मे उपस्थित होकर प्रकरण मे सुनवाई कर अंतिम आदेश हेतु निवेदन किया जाना चाहिए था। हम अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो एवं तर्को से इस बात पर तो सहमत है कि अंतरिम आदेश के विरूद्ध अपील पोषणीय है। परन्तु यह प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि अतंरिम आदेश मे हस्तक्षेप किया जाए

अथवा नहीं किया जाए। हमारे मत मे हस्तगत प्रकरण मे अंतरिम आदेश दिनांक 28.06.2023 का है तथा आगामी तारीख दिनांक 05.07.2023 नियत की गई। ऐसी स्थिति मे अपीलांट को प्रथम नियत दिवस को अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना चाहिए था। न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी. 2014(1) पेज 409 जगदीश प्रसाद बनाम भोपाल राम के विवेचन के प्रकाश मे हम प्रश्नगत आदेश दिनांक 28.06.2023 मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते। जहाँ तक प्रकरण के त्वरित निस्तारण का प्रश्न है, इस संबंध मे अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पत्रावली प्राप्ति के 45 दिवस मे प्रकरण का गुणावगुण पर अंतिम रूप से निस्तारण करें।

अतः अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करते हुए आदेशित किया जाता है कि हस्तगत प्रकरण में पत्रावली प्राप्ति के 45 दिवस मे गुणावगुण पर अंतिम निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय मे दिनांक 01.08.2023 को अथवा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियत तारीख पेशी को उपस्थित रहे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो तथा फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की सत्यप्रति अधीनस्थ न्यायालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब प्रेषित की जावे।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा